

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क0 एफ.4()MTW/विधि/पंरा/2016/2910

जयपुर, दिनांक: 21-10-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान बाबत।
प्रसंग:- स्कूल शिक्षा विभाग का पत्रांक प.15(1)प्राशि/2017 दिनांक
20.9.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 29.5.2017 के द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया था। अतः सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य सन्तोषजनक होने का प्रमाणीकरण एवं मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाये जाने की दशा में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायकों को मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र की अवधि का मानदेय भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।


(~~डॉ०~~ आरुषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।


संयुक्त शासन सचिव(विधि)